

भारत की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषणात्मक अध्ययन

Dr. Shyam Lal Meghwal

प्रस्तावना :

भारत एक संघीय संसदीय लोकतांत्रिक गणराज्य है। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। यह भारतीय राजनीतिक व्यवस्था अगस्त 1947 में अस्तित्व में आई क्योंकि देश को ब्रिटिश शासन से आजादी मिल गई। भारत का संविधान जल्द ही लिखा गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसके बाद से इसमें कई संशोधन देखने को मिले। ये बदलाव बहुत विचार के बाद समाज की भलाई के लिए लाया गया है।

राजनीति दो शब्दों का एक समूह है राज+नीति (राज मतलब शासन और नीति मतलब उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला) अर्थात् नीति विशेष के द्वारा शासन करना या विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना राजनीति कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जनता के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर (सार्वजनिक जीवन स्तर)को ऊँचा करना राजनीति है। नागरिक स्तर पर या व्यक्तिगत स्तर पर कोई विशेष प्रकार का सिद्धान्त एवं व्यवहार राजनीति (पॉलिटिक्स) कहलाती है। अधिक संकीर्ण रूप से कहें तो शासन में पद प्राप्त करना तथा सरकारी पद का उपयोग करना राजनीति है।

राजनीति में बहुत से रास्ते अपनाये जाते हैं जैसे- राजनीतिक विचारों को आगे बढ़ाना, विधि बनाना, विरोधियों के विरुद्ध युद्ध आदि शक्तियों का प्रयोग करना। राजनीति बहुत से स्तरों पर हो सकती है- गाँव की परम्परागत राजनीति से लेकर, स्थानीय सरकार, सम्प्रभुत्वपूर्ण राज्य या अन्तराष्ट्रीय स्तर पर।

राजनीति का इतिहास अति प्राचीन है जिसका विवरण विश्व के सबसे प्राचीन सनातन धर्म ग्रन्थों में देखने को मिलता है। राजनीति कि शुरुआत रामायण काल से भी अति प्राचीन है। महाभारत महाकाव्य में इसका सर्वाधिक विवरण देखने को मिलता है। चाहे वह चक्रव्यूह रचना हो या चौसर खेल में पाण्डवों को हराने कि राजनीति। अरस्तु को राजनीति का जनक कहा जाता है। आम तौर पर देखा गया है कि लोग राजनीति के विषय में नकारात्मक विचार रखते हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, हमें समझने की आवश्यकता है कि राजनीति किसी भी समाज का अविभाज्य अंग है। महात्मा गांधी ने एक बार टिप्पणी की थी कि राजनीति ने हमें साँप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बिना कोई भी समाज जीवित नहीं रह सकता।

भारत की राजनीति में चुनाव के बाद जीती हुई राजनीतिक दल सत्ता दल से सत्ता की प्राप्ति की एक प्रक्रिया को कहते हैं। ये राजनीतिक चुनाव प्रक्रिया ग्राम से लेकर देश के चुनाव तक होता है और सभी चुनावों का नियंत्रण चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। भारत की राजनीति और चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा ही यहां एक सफल

सरकार का गठन सम्भव हो पाता है। सरकार देश के विकास कार्य और राष्ट्र की प्रगति में सहायक होती है। भारत में पहला आम चुनाव आजादी के बाद सन 1951 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले चुनाव में जीत हासिल की थी। भारत में दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, एक राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरी भारतीय जनता पार्टी

भारत की राजनीति (Indian Politics) संविधान के ढाँचे में काम करती है। जहाँ पर राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख होता है।

भारत एक संघीय संसदीय, लोकतांत्रिक गणतंत्र है, भारत एक द्वि-राजतन्त्र का अनुसरण करता है, अर्थात्, केन्द्र में एक केन्द्रीय सत्ता वाली सरकार और परिधि में राज्य सरकारें।

संविधान में संसद के द्विसदनीयता का प्रावधान है, जिस में एक ऊपरी सदन (राज्य सभा) जो भारतीय संघ के राज्य तथा केन्द्र-शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है, और निचला सदन (लोक सभा) जो भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है, सम्मिलित है।

शासन एवं सत्ता सरकार के हाथ में होती है। संयुक्त वैधानिक बागडोर कार्यपालिका एवं संसद के दोनों सदनों, लोक सभा एवं राज्य सभा के हाथ में होती है। न्याय मण्डल शासकीय एवं वैधानिक, दोनों से स्वतंत्र होता है।

संविधान के अनुसार, भारत एक प्रधान, समाजवादी, धर्म-निरपेक्ष, लोकतांत्रिक राज्य है, जहाँ पर विधायिका जनता के द्वारा चुनी जाती है। अमेरिका की तरह, भारत में भी संयुक्त सरकार होती है, लेकिन भारत में केन्द्र सरकार राज्य सरकारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, जो कि ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली पर आधारित है। बहुमत की स्थिति में न होने पर मुख्यमंत्री न बना पाने की दशा में अथवा विशेष संवैधानिक परिस्थिति के अंतर्गत, केन्द्र सरकार राज्य सरकार को निष्कासित कर सकती है और सीधे संयुक्त शासन लागू कर सकती है, जिसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। भारत का पूरी राजनीति मंत्रियों के द्वारा निर्धारित होती है। भारत एक लोकतांत्रिक और धार्मिक और सामुदायिक देश है। जहाँ युवाओं में चुनाव का बढ़ा वोट केंद्र भारतीय राजनीति में बना रहता है यहां चुनाव को लोकतांत्रिक पर्व की तरह बनाया जाता है। भारत में राजनीतिक राज्य में नीति करने की तरह है।

भारत की राजनीति ऐसी राजनीति जो आज के समय में लोकतंत्र के सबसे सहि पायदान पर है भारत की राजनीति जिसमें सभी व्यक्ति को समानता अधिकार प्रदान करने के लिए चुनाव होता है और वही हो रहा है भारत की राजनीति बाजार की तरह थी लेकिन वर्तमान सरकार के वजह से अत्यधिक पारदर्शी हो गई है भारत की राजनीति को अलग अलग तरीकों से जैसे बाजार का कोई भी सामान अलग अलग मूल्य से काम नहीं हो सकता था। विशेष लोगों के लिए विशेष छूट और अन्य के लिए कोई भी प्रकार की कटौती नहीं। भारत एक लोकतंत्र देश है लेकिन इस देश में लोकतंत्र का कोई महत्व दिखाई नहीं पड़ रहा था, लोकतंत्र को दिखाई देने के लिए एक क्रमबद्ध तरीके से लोकतंत्र चुनाव तब का समय था कि केवल अपने फायदे के लिए जनता को आगे करें जा रहे थे राजनीति पूरी तरह

से भारत में नाम मात्र का रह चुका था राजनीति नहीं यह तो राज्य नीति है राजनीति का सही अर्थ है राज्य की नीति को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए जो की पहली बार देश में देखने को मिल रहा है।

भारतीय सरकार का संसदीय स्वरूप

भारत की राजनीति एक संसदीय ढांचे के अंदर काम करता है, मुखिया, राष्ट्रपति और देश का प्रधानमंत्री सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत एक संसदीय संघीय लोकतान्त्रिक गणतंत्र देश है। भारत की राजनीति द्वी-राजतन्त्र के तहत काम करता है, जिसमें एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार के रूप में कार्य करती है।

भारत जैसे लोकतान्त्रिक देश में संसदीय स्वरूप ही सरकार के कार्य को दर्शाती है। इस प्रकार देश का प्रधानमंत्री को ही सरकार के रूप में मानते हैं। वैसे देश का मुखिया तो राष्ट्रपति होता है पर सारी बागडोर प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। राष्ट्रपति ही देश का सर्वोच्च नागरिक होता है।

देश में आम चुनाव के द्वारा लोग अपनी पसंद के प्रतिनिधि को चुनने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। देश का हर वो व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पार कर ली है, वह स्वतंत्र रूप से अपने मत का प्रयोग या अपनी इच्छा से उसे अपना प्रतिनिधि चुनने का हक होता है। प्रत्येक पांच वर्षों के बाद देश का आम चुनाव होता है, जिसमें आप अपने प्रतिनिधि का स्वतंत्रता से चुनाव कर सकते हैं।

लोकसभा:

लोकसभा में कुल 545 सदस्य हैं। 543 लोकसभा सदस्य देश की आम जनता द्वारा चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। 2 लोकसभा सदस्य देश के राष्ट्रपति द्वारा सीधे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से चुने जाते हैं। अन्य आवश्यकताओं के लिए, लोकसभा सदस्यता के लिए पात्र होने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए।

राज्यसभा:

राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं।

राज्य सभा के 233 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को नामित किया जाता है।

राज्यसभा सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए।

संसद सदस्य भारतीय राजनीतिक प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा हैं और सामूहिक रूप से कई राजनीतिक निर्णय लेने की शक्ति रखते हैं।

राजनीतिक दल और सरकार का गठन:

भारत में कई राजनीतिक दल हैं जो चुनाव लड़ते हैं। जिस पार्टी को बहुमत मिलता है वह सत्ता में आ जाती है। भारत सरकार का गठन कुल पाँच वर्षों के लिए किया गया है।

सालों तक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियाँ थीं जिन्होंने चुनावों के दौरान प्रत्येक को कड़ी टक्कर दी। हालांकि, अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता वाली हाल ही में बनी आम आदमी पार्टी अब उन्हें कड़ी टक्कर दे रही है।

भारतीय राजनीति में राजनीतिक पार्टियाँ

ब्रिटिश शासन से आजादी के बाद भारत एक लोकतान्त्रिक राष्ट्र बन गया, और ये लोकतंत्र लोगों की पसंद से सरकार बनाने की अवधारणा पर आधारित है। इसमें राजनीतिक दल या पार्टियों का एक ऐसा समूह होता है, जो विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों के द्वारा गठित की जाती है। स्वतंत्रता के बाद देश में कई राजनीतिक दलों का गठन किया गया था। जिनमें से कुछ पार्टियाँ राष्ट्रीय स्तर की थीं तो कुछ राज्य स्तर पर थीं। बाद में कई राज्य स्तरीय पार्टियों को उनके विस्तार को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर की पार्टी घोषित कर दी गई थी। इन दिनों हर राज्य में कुछ लोकल पार्टियों ने भी जन्म ले लिए हैं, जो की राजनीति को बहुत प्रभावित करता है।

कोई भी राजनीतिक पार्टी चाहे वह पार्टी राष्ट्रीय स्तर की हो या राज्यीय स्तर की पार्टी हो उस पार्टी को एक चिन्ह के रूप में एक प्रतिक होना आवश्यक होता है। राजनीतिक पार्टी के पास प्रतिक होने से लोग प्रतिक से उस पार्टी की पहचान कर लेते हैं, और चुनाव चिन्ह के रूप में भी इसे ही इस्तेमाल किया जाता है। लोग चुनाव के समय इसी चिन्ह के माध्यम से पार्टी को पहचान कर अपना मतदान करते हैं। इन राजनीतिक पार्टियों को चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत होना आवश्यक होता है।

सभी राजनीतिक पार्टियाँ चुनाव से पहले या चुनाव के दिनों में आम लोगों को अपने विभिन्न कार्यक्रमों और अपनी नीतियों से उन्हें अवगत कराते हैं। आम लोगों का वोट इकठ्ठा करने के लिए वो विभिन्न कार्यक्रमों और रैलियों के माध्यम से उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उन्हें अपने कार्यों की उपलब्धियों और आगे के नीतियों को भी बताते हैं। जिससे की जनता को उनके प्रति भरोषा हो की ये भविष्य में उनके हित के लिए कार्य करेंगे।

कोई भी राजनीतिक पार्टी चाहे वह पार्टी राष्ट्रीय स्तर की हो या राज्यीय स्तर की पार्टी हो उस पार्टी को एक चिन्ह के रूप में एक प्रतिक होना आवश्यक होता है। राजनीतिक पार्टी के पास प्रतिक होने से लोग प्रतिक से उस पार्टी की पहचान कर लेते हैं, और चुनाव चिन्ह के रूप में भी इसे ही इस्तेमाल किया जाता है। लोग चुनाव के समय इसी चिन्ह के माध्यम से पार्टी को पहचान कर अपना मतदान करते हैं। इन राजनीतिक पार्टियों को चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत होना आवश्यक होता है।

सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहले या चुनाव के दिनों में आम लोगों को अपने विभिन्न कार्यक्रमों और अपनी नीतियों से उन्हें अवगत कराते हैं। आम लोगों का वोट इकठ्ठा करने के लिए वो विभिन्न कार्यक्रमों और रैलियों के माध्यम से उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उन्हें अपने कार्यों की उपलब्धियों और आगे के नीतियों को भी बताते हैं। जिससे की जनता को उनके प्रति भरोसा हो की ये भविष्य में उनके हित के लिए कार्य करेंगे।

- हित में पैसा इकठ्ठा करने के लिए पैसे लेकर अवैध भर्तियां करवाती है। इसके कारण देश के उज्ज्वल और होनहार छात्रों का भविष्य अंधेरे में चला जाता है। राजनीतिक पार्टियों द्वारा इकठ्ठा किया गया यही पैसा चुनाव के समय लोगों में वोट मांगने के लिए और राजनेताओं को उनकी पार्टी में शामिल होने के लिए खरीदने में उपयोग किया जाता है। चुनावों के पहले जो राजनेता बड़े ही विनम्रता से पेश आते हैं, लोगों से नीतियों और तरक्की के वादों की बौछार करते हैं। वही राजनेता का चुनाव जीतने के बाद परिदृश्य बिल्कुल ही अलग हो जाता है। उनके सामने आने वाली आम लोगों की समस्याओं की बिल्कुल परवाह नहीं होती है। कहीं-कहीं तो चुनाव जीतने के बाद राजनेता आम लोगों को ही परेशान करने की बात भी सामने आई है। राजनेताओं को बस अपने पैसे बनाने की पड़ी है, इसके लिए वो अपने कुर्सी की ताकत का इस्तेमाल करते हैं।
- राजनीति में पहले से ही मौजूद शक्तिशाली राजनेताओं के कारण सही व्यक्ति जो लोगों की सच्ची सेवा करना चाहता है वो कभी चुनाव नहीं जीत पाता है। ऐसे ताकतवर नेता अपनी अलग-अलग और अवैध रणनीति लगाकर चुनाव को जीतते हैं। वे आम लोगों में पैसे, खाने के सामान जैसी चीजों को बांटकर अपने चुनावी झांसे में फसाने का काम करते हैं, और गरीब पैसों की कमी के कारण उनके चुनावी झांसे में आकर उन्हें अपना वोट दे देते हैं। बाद में लोगों को इन पैसों को अपनी तकलीफों के रूप में चुकानी पड़ती है।
- सत्ता की कुर्सी पर जो राजनेता बैठा है वो कभी भी किसी कीमत पर सत्ता और अपना नियंत्रण नहीं खोना चाहता है। ऐसे में नेता फर्जी अफवाहें, झूठी बातें, पैसे देकर मिडिया को झूठी खबरे फैलाने को कहते हैं। इस तरह से जनता में गलत सन्देश के जाने से दूसरी पार्टी के नेताओं से उनका विश्वास कम हो जाता है और गलत सत्ताधारी नेताओं के जीत का मार्ग और मजबूत हो जाता है।
- अधिकांश राजनीतिक दलों में युवाओं की कमी है, क्योंकि राजनीति अब बस पैसे वालों के लिए हो गई है। इसलिए जो अच्छे और कर्मठ युवा राजनीति में आना चाहते हैं या तो पैसों की
- कमी या उन्हें राजनीति में पैसों के दम पर आने नहीं दिया जाता। आज भी राजनीतिक पार्टियों में वृद्धावस्था के नेता मौजूद हैं और वही जनता की सेवा कर रहे हैं। वास्तविकता तो यह है की वो न तो ठीक से चल सकते हैं, न लिख सकते हैं, न पढ़ सकते हैं। ऐसे नेताओं का काम अधिकारी या कुछ पढ़े लिखे लोग उनके आदेशों का पालन करते हैं। राजनीतिक पार्टियां अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में ढो रही है। ऐसे नेताओं को युवा नेताओं के साथ संभावित रूप से बदलने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

भारतीय राजनीति अच्छे और बुरे अनुभवों का एक मिश्रण है। जहां एक अच्छा नेता अपनी अच्छी छवि से भारतीय राजनीति को उजागर करता है तो वही दूसरी तरफ नेताओं के गलत तरीके से चुनाव जितना और अपने निजी फायदे के लिए राजनीति करना इसकी छवि को धूमिल बनाता है। यहां की जनता को देश में लोकतांत्रिक हक दिया गया है की वो अपनी पसंद का नेता चुन सकें। यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो देश तर्कसंगत या निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए जिससे देश की उन्नति और तरक्की पूर्णतया पुख्ता रूप से सम्भव हो सकें।

संदर्भ सूची

समाचार पत्र

- भारत टाइम्स
- दि हिंदुस्तान टाइम्स
- हिंदुस्तान दैनिक
- जनसत्ता
- नई दुनिया

नियत कालीन पत्रिकाएं

- इकोनामिक एंड पॉलीटिकल वीकली समीक्षा ट्रस्ट पब्लिकेशन मुंबई
- इंडिया टुडे लिविंग मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली
- राजस्थान पत्रिका लोकसभा सचिवालय नई दिल्ली
- लोकतंत्र समीक्षा
- कुरुक्षेत्र भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय नई दिल्ली
- योजना भारत सरकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली
- भारत वार्षिक प्रकाशन विभाग भारत सरकार
- पॉलिटिकल साइंस रिव्यू यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर